सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 12/2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां।

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री हरीश कुमार अग्रवाल उम्र 38 वर्ष पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी हन्स विला कृष्णा कॉलोनी बारां **(मालिक एवं विक्रेता)** मेसर्स महेन्द्र कुमार झालावाडी एण्ड सन्स, प्रताप चौक बारॉ
2. श्री राजेश कुमार अग्रवाल उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व0 श्री रामकिशन अग्रवाल निवासी स्टेशन रोड बीकानेर (पार्टनर) मैसर्स द लालजी फूड प्रोडक्टस, 147 इण्ड0 एरिया रानी बाजार बीकानेर (राज.)
3. श्रीमती सुनिता देवी अग्रवाल उम्र 56 वर्ष पत्नि श्री बृजमोहन अग्रवाल निवासी स्टेशन रोड बीकानेर (पार्टनर) मैसर्स द लाल जी फूड प्रोडक्टस, 147 इण्ड0 एरिया रानी बाजार बीकानेर (राज.)
4. मैसर्स द लालजी फूड प्रोडक्टस, 147 एरिया रानी बाजार, बीकानेर (राज.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक (अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4)

निर्णय दिनांक 14.11.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.10.2016 को समय 01:15 पी.एम. पर मेसर्स महेन्द्र कुमार झालावाडी एण्ड सन्स प्रताप चौक बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री हरीश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल **(मौके पर मौजूद मालिक एवं विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 24.10.2016 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (लालजी) 500 ग्राम मात्रा के 06 पैक डिब्बे** विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (लालजी) मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर उसमें से विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली।

आवेदक द्वारा खाद्य वस्तु सोहन पपडी (लालजी) विक्रेता से 500 ग्राम के 04 पैक डिब्बे वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री हरीश कुमार अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाल को 600/–रू. नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन श्री विकास व श्री अभिषेक के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा सोहन पपडी (लालजी) 500 ग्राम के 04 डिब्बो को अलग–अलग चार नमूना भाग मे कर मूल ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–673 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारॉ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएच–673 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री हरीश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भीा मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा को जमा करवाकर फार्म की पुष्ट पर रसीद प्राप्त की गई। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/307 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 373/FSSA/Kota/Act/2016/193 दिनांक 09.11.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (लालजी)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स महेन्द्र कुमार झालावाडी एण्ड सन्स प्रताप चौक बारॉ से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल की सूचना रजि0 पत्र एफएसएसए/2016/311 दि. 16.11.2016 द्वारा चाही गई। फर्म द्वारा प्रतिउत्तर मे खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल कार्यालय मे पेश किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 20.4.2017 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति आवेदक को तकसीम की गई ओर आवेदक द्वारा जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (लालजी)** 500 ग्राम का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि परिवाद मे मद नम्बर 1 जिस प्रकार से लिखी गई है, स्वीकार नही है तथा परिवादी स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त होने की योग्यता नही रखता क्योकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए उक्त अधिनियम मे जो आवश्यक योग्यताए है वह इस प्रकार है कि खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रोद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान मे डिग्री या रसायन विज्ञान मे मास्टर या मेडिसिन मे डिग्री हो या खाद्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त किया हो, उसी व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा अधिकारी लगाया जा

सकता है। इस कारण परिवादी के पास उक्त निर्धारित योग्यता नही होने से उसके द्वारा किये गये समस्त कार्य उक्त अधिनियम के तहत नल एण्ड व्हाइड है तथा समस्त प्रोसेडिंग दूषित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

परिवाद की मद नम्बर 2 में वर्णित सोन पपडी (लालजी) का सेम्पल लिया जाना स्वीकार है, शेष अंश अस्वीकार है तााि कथन है कि प्रारूप 5ए की पालना वैधानिक रूप से नही की गई है और ना ही उसकी प्रति राज्य खाद्य आयुक्त को भिजवाई गई है तथा अप्रार्थी क्रम 1 उक्त सोन पपडी का न तो निर्माता है पक्षकार क्रम 2, 3 व 4 उक्त सोन पपडी के निर्माता है, वह ही सोन पपडी के लघु एवं कुटीर उद्योग के तहत निर्मित कर विक्रय के लिए बाजार मे अपने प्रतिनिधियो को देते है। इसलिए समस्त दायित्व विनिर्माता का बनता है। खाद्य कारोबारकर्ता की परिभाषा मे अप्रार्थी क्रम 1 नही आता है।

परिवाद की मद नम्बर 3 परिवादी को साक्ष्य से प्रमाणित करनी चाहिए। परिवाद मद क्रम 4 जिस रूप से लिखी गई है स्वीकार नही है। परिवाद की मद क्रम 5 खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेने से पूर्व विनिर्माता को न तो कोई नोटिस दिया और ना ही नमूना लेने की कोई सूचना दी। परिवाद मद क्रम 6 स्वीकार नही है तथा नमूना विश्लेषक जिसके यहां नमूना भेजा गया वह धारा 43 के अनुसार खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त नही है वह खाद्य विश्लेषक की निर्धारित योग्यता नही रखता, इस कारण से उसके द्वारा नमूना विश्लेषण करने के लिए अधिकृत न होने से उक्त रिपोर्ट पढे जाने योग्य नही है तथा कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

परिवाद की मद नम्बर 7 जिस रूप मे लिखी गई है स्वीकार नही है तथा कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कोटा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात 14 दिन के अन्दर राज्य खाद्य आयुक्त को न तो उक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई और ना ही खाद्य आयुक्त से प्रोसिक्यूशन चलाने की स्वीकृति प्राप्त की और ना ही कोई सिफारिश राज्य खाद्य आयुक्त के द्वारा की गई। जिसके अभाव मे उक्त परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। परिवाद की मद नम्बर 8 मे वर्णित कथन मौजूदा कानून के विपरीत है इसलिए स्वीकार नही है। क्योकि अप्रार्थी क्रम 4 मैं. द लालजी फूड प्रोडक्ट 147 इण्ड0 एरिया रानी बाजार बीकानेर, जिसके अप्रार्थी क्रम 2 व 3 पार्टनर है, इस प्रकार फर्म के साथ पार्टनर को पृथक पक्षकार बनाकर परिवाद पेश किया गया है, जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। अप्रार्थी क्रम 2, 3 व 4 का दायित्व समान है तथा उन्हे एक ही विधिक पर्सन के रूप मे माना जाना चाहिए। जबकि परिवाद मे तीनों को पृथक–पृथक पक्षकार बनाया गया है, जो गलत है।

परिवाद की मद नम्बर 9 जिस रूप से लिखी गई है स्वीकार नही है तथा कथन है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ को उक्त पत्रावली न्याय निर्णय हेतु आवेदन फाईल करने की कोई वैधानिक अधिकारिता नही है। मौजूदा कानून के अनुसार उक्त आवेदन को प्रस्तुत करने की स्वीकृति राज्य खाद्य आयुक्त द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान नही की गई। इसलिए उक्त परिवाद चलने योग्य नही है, निरस्त किये जाने योग्य है। परिवाद की मद नम्बर 10 मे जिस प्रयोगशाला का वर्णन किया गया है वह प्रयोगशाला खाद्य प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त नही है, तथा उसमे जो विश्लेषक है वह निर्धारिज योग्यता जो उक्त एक्ट मे दी गई है, नही रखते है, इसलिए उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट मान्य नही होने से पढे जाने योग्य नही है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

यदि अप्रार्थीगण को किसी हद तक दोषी भी माना जाता है तो मात्र खाद्य निर्माता क्रम 2, 3 व 4 मे से किसी एक को ही दोषी ठहराया जा सकता है तथा उनके विरूद्व उक्त प्रकरण धारा 31 (2) की परिधि मे आता है। अप्रार्थी क्रम 1 किसी प्रकार से दायित्वाधीन नही माना जा सकता। क्योकि उसने तो अपने अनुज्ञप्ति पत्र के अनुसार अप्रार्थी क्रम 4 के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट को बिल प्राप्त कर विक्रय हेतु रखा गया है। अप्रार्थीगण के विरूद्व परिवादी द्वारा दर्ज परिवाद निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) परिवाद मे बिन्दु संख्या 1 परिवादी की योग्यता संबंधित है इस हेतु परिवाद मे गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत किया गया है। जिसे दौराने बहस दिनांक 14.11.2018 को अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। बिन्दु संख्या 2 मे सभी को पार्टी बनाने पर आपत्ती की गई है जबकि अधिनियम के अनुसार धारा 26 एवं 27 मे समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं की जिम्मेदारी दर्शायी गई है। बिन्दु संख्या 3 मे साक्ष्य चाहा गया है, जिसके दस्तावेज संलग्न परिवाद है, जिसे दौराने बहस अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। बिन्दु संख्या 4 स्वीकार नही की गई है।

जिसके दस्तावेज संलग्न परिवाद है, जिसे दौराने बहस अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। बिन्दु संख्या 5 मे नोटिस नही दिये जाने का उल्लेख किया गया है। जबकि समस्त नोटिस परिवाद के साथ संलग्न किये जा चुके है। बिन्दु संख्या 6 खाद्य विश्लेषक योग्यता व लेब की मान्यता धारा 43 से संबंधित है। जो दौराने बहस श्रीमान द्वारा खारिज कर दी गई थी। बिन्दु संख्या 7 परिवाद की अभियोजन स्वीकृति अधिकृतकर्ता से संबंधित है अभिहित अधिकारी को इस हेतु अधिकृत किया गया है। जिसकी जानकारी दौराने बहस अधिवक्ता को दी गई थी एवं धारा 36 (ई) मे भी इसका उल्लेख किया गया है तथा अध्याय 3 न्यायन निर्णयन और अधिकरण को अपील 3.1.1 के बिन्दु संख्या 2 मे अभिहित अधिकारी को न्यायन निर्णयन के लिये न्यायन निर्णयन अधिकारी के पास परिवाद पेश करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

बिन्दु संख्या 8 मे अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा किसी एक ही व्यक्ति को पार्टी बनाने का अनुरोध किया गया है जो स्वीकार नही है, जबकि अधिनियम के अनुसार धारा 26 एवं 27 मे समस्त खाद्य कारोबारकताओं की जिम्मेदारी दर्शायी गई है। बिन्दु संख्या 9 मे परिवाद की अभियोजन स्वीकृति अधिकृत कर्ता से संबंधित है अभिहित अधिकारी को इस हेतु अधिकृत किया गया है कि जिसकी जानकारी दौराने बहस अधिवक्ता को दी गई थी एवं धारा 36 (ई) मे भी इसका उल्लेख किया गया है तथा अध्याय 3 न्यायन निर्णयन और अधिकरण को अपील 3.1.1 के बिन्दु संख्या 2 मे अभिहित अधिकारी को न्यायन निर्णयन के लिये न्यायन निर्णयन अधिकारी के पास परिवाद पेश करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। बिन्दु संख्या 10 मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला से संबंधित है, जिसे दौराने बहस अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया था एवं धारा 98 मे इसका उल्लेख किया गया है। बिन्दु संख्या 11 का जवाब बिन्दु संख्या 8 मे दिया जा चुका है। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 373/FSSA /Kota/Act/2016/193 दिनांक 09.11.2016 के बाद अप्रार्थीगण को **सोहन पपडी (लालजी)** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच ली गयी, खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (लालजी)** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 को प्रत्येक अप्रार्थी को 25000/–रूपये कुल जुर्माना राशि 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त जुर्माना राशि पृथक–पृथक अप्रार्थीगण प्रति अप्रार्थी 25000/– रूपये अथवा चारो अप्रार्थीगण मिलकर 1,00,000/– रूपये किसी भी एक अधिकृत प्रतिनिधी के माध्यम से जमा करवाये। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)